13.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान व उनके नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों को रेकार्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखते हेतु पाबन्द किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र के माध्यम से न्यायालय को यह अवगत कराया है कि प्रार्थीगण के पिता श्री रामकिशन जाट के प्रार्थीगण के अतिरिक्त 5 जाईन्दा पुत्रियां ओर है, जिनमें से 4 वर्तमान में जीवित है, जिनको प्रार्थीगण ने इस मौजूदा प्रार्थनापत्र में बतौर पक्षकार संयोजित नही कर दोषयुक्त प्रस्तुत कराया है। जबकि पुत्रियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण पक्षकार है, जितने कि प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण के इस तर्क के प्रमाणिकरण के लिए प्रार्थीगण द्वारा ही प्रस्तुत संलग्न राजस्व अभिलेख दस्तावेजात का अध्ययन किया गया, जिसमें न्यायालय ने यह तथ्य सिद्ध होना पाया है कि श्री रामकिशन जाट को प्रार्थीगण के अतिरिक्त 4 अन्य जाईन्दा पुत्रियां उत्पन्न हुई जिनका नाम कमला, रामघणी, सय्यारी, भूरी है, जिसकी ताईद ग्राम बडला स्थित आराजी संख्या 1351, 850 में श्री रामकिशन जाट की मृत्यूपरान्त खुली विरासत के नामान्तरकरण संख्या 731 दिनांक 09.05. 2017 से होती है। जिसमें यह पूर्णतया स्पष्ठ है प्रार्थीगण क़ी

चार सगी बहिनें है, जिनके नाम पर श्री रामकिशन जाट की मृत्युपरान्त विधिक वारिसान के तौर विरासत खुली है।

उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट दोषयुक्त होकर, मेन्टनेबल नही होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला जिला भीलवाडा